

ई मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या: 2017 /26-11

लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय: जिला दतिया एवं जिला ग्वालियर के अंतर्गत माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु 1305.142 हे० वनभूमि परियोजना प्रशासक, माँ रतनगढ़ परियोजना, क्रियान्वयन इकाई, जल संसाधन विभाग, मै जिला भिण्ड को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/40397/2019)

सन्दर्भ: शासकीय पत्र संख्या-1890/81-04-2025-1983962 दिनांक 07.11.2025

महोदय,

अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासकीय पत्र एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं-2, तुलसी नगर, भोपाल के कार्यालय के पत्रांक-एफ-3/50/2019/10-11/6 दिनांक 04.11.2025 द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1847/26-11 दिनांक 12.11.2025 द्वारा उपरोक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (कक्ष भू-प्रबंध), भोपाल के उक्त पत्र दिनांक 04.11.2025 में उल्लिखित समस्त तथ्यों का अक्षरशः परीक्षण कराकर विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में सुविचारित औचित्यपूर्ण आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर को निर्देशित किया गया।


तदक्रम में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्रांक-1192/26-11, कैमूर, दिनांक 19.11.2025 द्वारा उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश, आगरा के पत्रांक-1365/23-1 (रतनगढ़ परियोजना) दिनांक 18.11.2025 द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में संस्तुति सहित उपलब्ध कराई गई संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट व नजरी नक्शा एतदसह संलग्न कर संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश, आगरा के उक्त पत्र दिनांक 18.11.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला दतिया एवं जिला ग्वालियर के अन्तर्गत माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के क्रम में परियोजना की स्वीकृति हेतु भारत सरकार ने मध्य प्रदेश द्वारा तैयार किए गए वन्यजीव प्रबंधन योजना पर उत्तर प्रदेश सरकार की भी टिप्पणी चाही गयी है, के क्रम में वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा एवं क्षेत्रीय वनअधिकारी, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी इटावा के साथ परियोजना प्रबंधक श्री जितेन्द्र यादव एवं उपमंत्री श्री एम०के० शाक्या के साथ पचनदा एवं कंजौसा क्षेत्र जंहा सिन्ध नदी एवं यमुना नदी के मिलन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 3.6 कि०मी० तक सिन्ध नदी राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के सीमा का निर्माण करती है (क्वारी नदी के मिलन स्थल तक) तथा इसका (सिन्ध नदी) का कुल लम्बाई का लगभग 4.6 कि०मी० भाग राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट के ईको सेन्सिटिव जोन में आता है। चूंकि सिन्ध नदी का मुहाना यमुना नदी एवं राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी इटावा से लगा हुआ है। अतः घड़ियाल, मगर एवं विभिन्न प्रजाति के कछुओं इत्यादि के आवागमन के दृष्टिगत पारिस्थितिक प्रवाह (Ecological Flow) सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त वन्यजीवों के पर्यावास एवं प्रसार के दृष्टिगत उक्त बिन्दुओं को मिटिगेशन प्लान में समाहित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (कक्ष भू-प्रबंध), भोपाल के उक्त पत्र दिनांक 04.11.2025 (संलग्नक-1) एवं तत्सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर के उक्त पत्र दिनांक 19.11.2025 (संलग्नक-2) की छायाप्रति एतद्सह संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के अभिमत अवगत कराए जाने एवं तत्सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत होने वाली बैठक में अपनी उपस्थिति हेतु सार्थक समय से मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



26.11.2025
(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या: 2017 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं-2, तुलसी नगर, भोपाल को उनके कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 04.11.2025 के क्रम में।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं-2, तुलसी नगर, भोपाल को उनके पत्रांक-वन्यजीव/व.त.अ.-1/GEN-469/9658 दिनांक 12.11.2025 के क्रम में।


26.11.2025
(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।